

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र

सोमवार, दिनांक 16 फरवरी, 2009

तारांकित प्रश्नोत्तर

चरम वि. सभा क्षेत्र के ग्रामों/मजरा-टोलों का विद्युतीकरण

1. (*क. 623) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ. ग. राज्य विद्युत ब्यारेन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, यो. आर. बी. एम. अथवा मजरा टोल विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चरम विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों/मजरा टोलों में वर्ष 2008-09 में विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा कितने में किया जाना प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र चरम में यो. आर. बी. एम. के अंतर्गत 68 ग्रामों के कुल 74 मजरा-टोलों एवं विभागीय स्तर के अंतर्गत 34 ग्रामों के कुल 38 मजरा-टोलों में विद्युतीकरण प्रस्तावित है, जिनमें से प्रथमः 24 मजरा-टोलों एवं 18 मजरा-टोलों में विद्युतीकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष मजरा-टोलों में विद्युतीकरण के कार्य किये जा रहे हैं। बहामण्ड जिले की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2008-09 में कार्यादेश जारी किया जा चुका है, जिसमें चरम विधान सभा क्षेत्र के 150 ग्रामों के 250 मजरा-टोलों/मजरा-टोलों क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इन मजरा-टोलों में विद्युतीकरण के कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है।

कोरवा जिले में स्थापित विद्युत संयंत्र

2. (*क. 823) श्री बौधराय कंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरवा जिले में कहां कहां, कि-से स्तर पर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने हेतु एम. ओ. यू. कित-कितने के साथ किए गए हैं और कितनेके द्वारा लागू जा रहे हैं ? (ख) कितने विद्युत संयंत्रों को स्थापित किए जाने हेतु पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ? (ग) कितने संयंत्रों को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति अग्रिम है किन्तु निर्माण कार्य जारी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्तमान में स्थापित एम. ओ. यू. के अंतर्गत विभिन्न निवेशकों के द्वारा कोरवा जिले में स्थापित किए जाने वाले विभिन्न विद्युत संयंत्रों का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है। (ख) कोरवा जिले में विद्युत संयंत्रों को स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा दी गई अनुमति का विवरण संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) कोई नहीं।

कृषि यंत्रों के डिमांडेशन

3. (*क. 788) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि यंत्रों के डिमांडेशन के लिए राज्य शासन को वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं चालू वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उक्त राशि का उपयोग प्रदेश के कि-कि जिलों एवं स्थानों में किया गया ? (ग) डिमांडेशन से कितने किसानों को लाभान्वित किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) कृषि यंत्रों के डिमांडेशन के लिये विभाग को वर्ष 2006-07 में राशि रुपये 73.93 लाख, वर्ष 2007-08 में राशि रुपये 100.29 लाख एवं वर्ष 2008-09 में (जनवरी 09 तक) राशि रुपये 10.65 लाख प्राप्त हुये। विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर है। (ख) उक्त राशि में से प्रश्नांक अवधि में कुल राशि रुपये 116.71 लाख यंत्रों के क्रय हेतु एवं राशि रुपये 55.58 लाख

का उपयोग निम्नानुसार यंत्रों के प्रदर्शन हेतु किया गया. विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

स. क्र.	वर्ष	जिलों की संख्या	प्रदर्शन स्थानों की संख्या
1.	2006-07	16	357
2.	2007-08	16	375
3.	2008-09 (जन. 09 तक)	16	340

(ग) डिमास्ट्रेशन से निम्नानुसार कृषकों को लाभांकित किया गया. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है.

स. क्र.	वर्ष	लाभांकित कृषक संख्या जिनके खेत में प्रदर्शन किया गया
(1)	(2)	(3)
1.	2006-07	1230
2.	2007-08	10313
3.	2008-09 (जन. 09 तक)	7151

प्रदेश के केप्टिव पावर प्लांटों की उत्पादन क्षमता

4. (*क्र. 720) श्री रविन्द्र चौबे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में केप्टिव पावर प्लांट कहां-कहां हैं तथा इन प्लांटों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी है ? (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लिखित प्लांटों में से किस-किस केप्टिव पावर प्लांट को ओपन एक्सेस की अनुमति कब-कब प्रदान की गई है ? (ग) ओपन एक्सेस की अनुमति मिलने के पश्चात् उक्त केप्टिव उत्पादक उपभोक्ता द्वारा अनुमति की तिथि से माह दिसम्बर तक प्रतिमाह कितनी बिजली विद्युत मण्डल, बाद में विद्युत कंपनी से किस दर पर खरीदी गई तथा ओपन एक्सेस के तहत कितनी बिजली उक्त अवधि में किस-किस को बेची गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में लगे केप्टिव पावर प्लांटों का स्थान एवं इन प्लांटों की विद्युत उत्पादन क्षमता पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 में दर्शाया गई है. (ख) जिन केप्टिव पावर प्लांटों को ओपन एक्सेस की अनुमति दी गई है, उन्हें यह अनुमति कब-कब दी गई है, की जानकारी पुस्तकालय से रखे परिशिष्ट-2 में दर्शाया गई है. (ग) ओपन एक्सेस की अनुमति मिलने के पश्चात् केप्टिव उत्पादक उपभोक्ता द्वारा अनुमति की तिथि से माह दिसम्बर तक प्रतिमाह छ. रा. वि. मं. बाद में विद्युत कंपनी से खरीदी गई बिजली की मात्रा एवं दर का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है तथा ओपन एक्सेस के तहत बेची गई बिजली का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 में दर्शाया गया है.

केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा में सांडों की खरीदी

5. (*क्र. 271) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, अंजोरा में वीर्य संग्रहण हेतु कितने सांडों की खरीदी की गई ? (ख) इन सांडों में से कितने सांडों से वीर्य संग्रहण का कार्य किया जा रहा है ? इस अवधि में कितने सांडों की मृत्यु किन कारणों से और कब-कब हुई तथा इससे शासन को कितनी राशि का नुकसान हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, अंजोरा, दुर्ग छ. ग. में वीर्य संग्रहण हेतु वर्ष 2004-05 में 20 एवं वर्ष 2005-06 में 16 सांडों की खरीदी की गई. (ख) वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 में क्रम कुल 36 सांडों में से वर्तमान में 11 सांडों से वीर्य संग्रहण का कार्य किया जा रहा है. वर्ष 2004-05 की अवधि में किसी भी सांड की मृत्यु नहीं हुई. वर्ष 2005-06 की अवधि में दिनांक 17-05-05 को दो सांडों की मृत्यु हुई. एक सांड की मृत्यु हिपेटायटिस की वजह से एवं दूसरे सांड की मृत्यु कार्डियो रेस्पैटोरी फेल्योर की वजह से हुई. दो सांडों की मृत्यु से राशि रु. 80,000.00 की क्षति शासन को हुई.

भटगांव विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपंप एवं नल जल योजना की स्वीकृति

6. (*क्र. 391) श्री रविशंकर त्रिपाठी : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर 08 तक सरगुजा के भटगांव वि. सभा क्षेत्र में कुल कितने हैण्डपंप एवं ग्रामीण नल जल योजना के प्रकरण स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिये गये हैं ? (ख) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जाएंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 1 जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर 2008 तक जिला सरगुजा के भटगांव विधान सभा क्षेत्र में 225 नलकूप/हैण्डपंप एवं 08 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना के प्रकरण स्वीकृत किये गये. 225 नलकूप/हैण्डपंप में से 206 नलकूप/हैण्डपंप का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया है. (ख) निश्चित समयवाधि बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में नकली खाद निर्माताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही तथा खाद की आपूर्ति

7. (*क्र. 779) श्री मोहम्मद अकबर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2006, 2007 एवं 2008 में कौन-कौन से तथा किस-किस नाम तथा कंपनी के खाद एवं कीटनाशक पर कब से कब तक के लिए प्रतिबंध है ? उक्त अवधि में किन-किन खाद निर्माताओं के विरुद्ध अमानक स्तर एवं नकली खाद बेचने के कारण क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) वर्ष 2007-08 में कृषि कार्य हेतु किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कितना-कितना फर्टिलाइजर किनसे-किनसे कुल कितने-कितने का क्रय किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि में 6 उर्वरक निर्माण कंपनियों के विक्रय पंजीयन अमानक उर्वरक पाये जाने के फलस्वरूप एक माह के लिये निलंबित किये गये. नकली खाद निर्माण करने वाली संस्था बालाजी स्टील एवं कृषि केन्द्र, राजनांदगांव के विरुद्ध एफ. आई. आर. क्रमांक-348/06 दिनांक 13-07-2006 दर्ज की गई एवं पंजीयन निरस्त किया गया. वर्तमान में प्रकरण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय, राजनांदगांव में विचाराधीन है. वर्षवार, कम्पनीवार एवं उर्वरकवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. केन्द्र सरकार के द्वारा 10 अक्टूबर, 2005 में मोनोक्रोटोफास 36% SL को सखी फसलों पर उपयोग हेतु प्रतिबंधित किया गया है. दिनांक 15 जून 2006 में 31 कीटनाशक दवाओं के उपयोग को फसल विशेष के लिये प्रतिबंधित किया गया है एवं 7 कीटनाशक दवाओं के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है जिसका विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. साथ ही इन कम्पनियों के विरुद्ध निम्न कारवाही की गई :-

- (i) अमानक पाये गये उर्वरकों के स्कंध पर देय अनुदान राशि की कटौती अनुदान देयकों से करने के लिये, अनुदान देयक भारत सरकार को अग्रपिप्त किया गया है.
- (ii) उक्त अवधि में उर्वरक कंपनियों द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये उर्वरकों के अमानक पाये गये उर्वरक स्कंध की राशि की कटौती कम पाये गये तत्व के अनुपात में विपणन संघ द्वारा की गई है.
- (iii) प्रश्नाधीन अवधि में कीटनाशक औषधियों के अमानक पाये गये स्कंध को विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है.

(ख) वर्ष 2007-2008 में कृषि कार्य हेतु कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा 17 निर्माताओं/प्रदायकों से 4,35,681.800 मे. टन फर्टिलाइजर राशि रुपये 246.44 करोड़ का क्रय किया गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" में है.

छ. ग. बिजली बोर्ड द्वारा विक्रय की गयी बिजली

8. (*क्र. 678) श्री नन्दकुमार पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 एवं 08-09 में छ. ग. राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किन-किन कंपनियों को किस-किस दर पर किन-किन शर्तों के तहत बिजली बेची गई है ? (ख) प्रश्नांत "क" के तहत बेची गई बिजली से कुल कितने रुपये बिजली बोर्ड द्वारा वसूल किए गए ? कितनी रकम बकाया है ? बकाया रकम की वसूली नहीं होने का क्या कारण है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2007-08 एवं 08-09 में छ. ग. राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विभिन्न कम्पनियों/ट्रेडर्स को बेची गई बिजली की दर एवं शर्तों का वर्षवार विवरण † संलग्न क्रमशः प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दर्शाया गया है, इसके अतिरिक्त पी. टी. सी. के माध्यम से आईईएक्स में वर्ष 2008-09 में विक्रित बिजली की दर का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ख" में दर्शाया गया है, आईईएक्स में बिजली की दर का निर्धारण प्रतिदिन प्रत्येक कालखण्ड के लिये अलग-अलग रहता है तथा बाजार की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, अतः औसत दर दर्शाया नहीं है, (ख) प्रश्नांश "क" के तहत बेची गई बिजली के विरुद्ध वर्ष 2007-08 में बिजली बोर्ड द्वारा कुल 154.18 करोड़ रुपये के सकल देयक दस दिन के अन्दर भुगतान की शर्त के साथ जारी किये गये एवं 154.18 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ, अतः कोई रकम बकाया नहीं है, इसी प्रकार वर्ष 2008-09 (माह जनवरी-2009 तक) में बिजली बोर्ड द्वारा कुल 878.64 करोड़ रुपये के सकल देयक दस दिन के अन्दर भुगतान की शर्त के साथ जारी किये गये एवं 878.64 करोड़ रुपये प्राप्त हुये, अतः कोई रकम बकाया नहीं है.

राज्य के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने संबंधी

9. (क्र. 751) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन के लिये प्रावधान किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन विभागों द्वारा कर्मचारियों को समयमान वेतन स्वीकृत किया जा चुका है ? (ग) कितने विभागों द्वारा इसका लाभ नहीं दिखाया गया है ? लाभ कब देंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वित्त विभाग के पुस्तकालय में रखे जाय क्र. 97/107/वि.नि./चार/08, दिनांक 28-4-08 (परिपत्र-1) द्वारा प्रथम श्रेणी के वेतनमान 10000-15200 एवं तृतीय श्रेणी के सोपी धर्ती के पदों में नियुक्त कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान का प्रावधान किया गया है, (ख) वित्त विभाग के पुस्तकालय में रखे जाय दिनांक 28-4-08 परिपत्र-1 के परिशिष्ट-2 में सूचीबद्ध विजया के समस्त अंकित संघों के लिए तथा वित्त विभाग के जाय क्रमांक 08/सी-2802/वि.नि./चार/09, दिनांक 15-01-09 (परिपत्र-2) में सूचीबद्ध संघों के सभी विभागों के पदों के लिए समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है जो सभी कार्यालयों के लिए व्यवभव लागू होंगे अतः विभागों को अलग से स्वीकृत आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, (ग) वित्त विभाग के पुस्तकालय में रखे जाय दिनांक 28-04-08 (परिपत्र-1) तथा जाय दिनांक 15-01-09 (परिपत्र-2) द्वारा सभी विभागों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं, अतः विभागों को अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये विभिन्न विभागों द्वारा पृथक से समय वेतनमान का लाभ देने अथवा न देने का प्रश्न उपास्थित नहीं होता.

जिला बस्तर में अवैध उत्खनन के पंजीबद्ध प्रकरण

10. (क्र. 763) **श्री संतोष बाफना :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर में वर्ष 2007-08 में अवैध उत्खनन तथा परिवहन के किन्ने प्रकरण पंजीबद्ध किए गए ? (ख) पंजीबद्ध प्रकरण किस-किस खनिज से संबंधित हैं तथा प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला बस्तर में वर्ष 2007-08 में अवैध उत्खनन के 21 एवं अवैध परिवहन के 57 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जवाहर उत्कर्ष योजना अंतर्गत लाभार्थित छात्रों की जानकारी

11. (क्र. 489) **श्री वैदूराम कश्यप :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में जवाहर उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में कितने आदिवासी मेधावी छात्र/छात्राओं को चयनित कर योजना का लाभ किन-किन स्कूलों में दिया जा रहा है ? तथा वे पढ़ाई कर रहे हैं ? (ख) इस योजनांतर्गत प्रति छात्र/छात्रा का वार्षिक खर्च कितना है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2007-08 में 15 तथा वर्ष 2008-09 में 24 कुल 39 आदिवासी छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है, पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं की स्कूलवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है, (ख) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

उत्कृष्ट खिलानियों को नौकरी में आरक्षण

12. (*क्र. 469) श्री देवजी भाई पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य में उत्कृष्ट खिलानियों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कब से ? (ख) कंडिका "क" के तहत 31 दिसम्बर, 2008 तक कितने उत्कृष्ट खिलानियों को आरक्षण का लाभ मिला ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम-मुड़पार पंचायत झिटकी में तालाब निर्माण

13. (*क्र. 780) श्री परेश बागबाहरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम-मुड़पार पंचायत झिटकी में वर्ष 2007-08 में सिंचाई तालाब कृषि विभाग द्वारा बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह दोनों तालाब पहली ही बारिश (सितम्बर 2008) में फुट गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई ? (ख) क्या जांच में कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए गए ? यदि हां, तो उनके नाम बताएं वह भी बताएं कि उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गई तो कब तक कार्यवाही कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जी हां, बागबाहरा विकासखण्ड के ग्राम मुड़पार, पंचायत झिटकी में वर्ष 2007-08 में दो सिंचाई तालाब कृषि विभाग द्वारा बनाये गये हैं. जी हां, दोनों तालाबों के फूटने संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर उप संचालक कृषि, महासमुन्द द्वारा प्रकरण की प्राथमिक जांच अनुविभागीय कृषि अधिकारी सरायपाली से कराई गई है. (ख) प्राथमिक जांच प्रतिवेदन अनुसार निर्माण कार्यों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये विकासखंड बागबाहरा के सर्वेयर श्री श्री. आर. चंद्राक को उप संचालक कृषि, महासमुन्द द्वारा निलंबित किया गया है.

निर्मल ग्राम योजना अंतर्गत एन. जी. ओ. की आर्थिक कार्य

14. (*क्र. 775) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोशी : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्मल ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश में किन-किन "स्वयं सेवी संस्था" को कार्य सौंपा गया है ? जिलेवार एन. जी. ओ. के नाम एवं उन्हें सौंपे गए कार्य की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित कितने एन. जी. ओ. द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? जिलेवार उनके नाम एवं उन्हें भुगतान की राशि की जानकारी दें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) प्रदेश के किसी भी जिले में निर्मल ग्राम योजना के अंतर्गत किसी भी "स्वयं सेवी संस्था" को कार्य नहीं सौंपा गया है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) उत्तरांक "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

विधान सभा क्षेत्र कसडोल के सूखाग्रस्त ग्रामों की आनावारी

15. (*क्र. 793) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत कसडोल, बलीदाबाजार के लवन आर. आई. सर्किल व पलारी विकासखण्ड में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कम वर्षा होने के कारण कौन-कौन से ग्राम को सूखाग्रस्त घोषित किया गया ? (ख) सूखाग्रस्त ग्रामों की आनावारी कितनी-कितनी थी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) रायपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत कसडोल, बलीदाबाजार के लवन आर. आई. सर्किल व पलारी विकासखंड को वर्ष 2007-08 में शासन द्वारा सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है. वर्ष 2008-09 में कम वर्षा होने के कारण कसडोल तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. कसडोल तहसील के ग्रामों की सूची † संलग्न परिशिष्ट पर है. वर्ष 2008-09 में बलीदाबाजार के लवन आर. आई. सर्किल एवं पलारी विकासखंड को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है. (ख) शासन द्वारा तहसील कसडोल को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. औसत आनावारी अनुसार 0 से 37 पैसे तक के 55 ग्रामों की फसल प्रभावित हुई है. († संलग्न परिशिष्ट अनुसार).

उत्तर सरगुजा प्राधिकरण से जिला जशपुर के लिए स्वीकृत कार्य

16. (*क्र. 380) श्री रामपुकार सिंह : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर सरगुजा प्राधिकरण से जिला जशपुर को किन-किन कार्यों के लिये कितनी राशि वर्ष 2006-07 से जनवरी, 2009 तक स्वीकृत की गई ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

रायगढ़ जिले में कोयला तस्करी के पंजीबद्ध प्रकरण

17. (*क्र. 405) डॉ. शक्राजीत नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में 15 जनवरी, 09 तक रायगढ़ जिले में कोयला तस्करी के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? जप्त किये गये कोयले एवं वाहनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : रायगढ़ जिले में वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में 15 जनवरी 2009 तक कोयला के 26 अवैध उत्खनन एवं 99 अवैध परिवहन के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये. कोयला अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर एवं अवैध परिवहन के प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर दर्शित है.

प्रदेश के विद्युत सब स्टेशनों के संचालन हेतु दिया गया ठेका

18. (*क्र. 790) श्रीमती प्रतिभा चंद्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के सब-स्टेशनों को संचालन हेतु ठेके पर दिया गया है ? यदि हां, तो जिलेवार कितने सब-स्टेशनों को ठेके पर दिया गया है और कितने को नहीं दिया गया है ? (ख) दुर्ग जिले में जिन सब-स्टेशनों को ठेके पर दिया गया है उनकी क्षमता कितनी है तथा किस-किस दर पर ठेके पर दिया गया है ? (ग) दुर्ग जिले में जिला सब-स्टेशनों को ठेके पर नहीं दिया गया है ? उनकी क्षमता कितनी-कितनी है तथा विभाग द्वारा संचालन में कितना व्यय किया जा रहा है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. संचालन हेतु ठेके पर दिये गये एवं ठेके पर नहीं दिये गये सब-स्टेशनों की जिलेवार संख्या † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शाई गई है. (ख) दुर्ग जिले में ठेके पर दिये गये सब-स्टेशनों की क्षमता एवं सब-स्टेशनवार ठेके की दर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाई गई है. (ग) दुर्ग जिले में ठेके पर नहीं दिये गये सब-स्टेशनों की क्षमता एवं विभाग द्वारा संचालन हेतु किये जा रहे मासिक व्यय की सब-स्टेशनवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" में दर्शाई गई है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में किसान समृद्धि/वृष्टि छाया योजना अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण

19. (*क्र. 616) श्री ताप्रध्वज साहू : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2007-08 एवं 08-09 में किसान समृद्धि योजना एवं वृष्टि छाया योजना अंतर्गत कृषकों के कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : किसान समृद्धि योजना (वृष्टिछाया क्षेत्र) में विधान सभा क्षेत्र बेमेतरा के अंतर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कृषकों के निम्नानुसार प्रकरण पंजीकृत/स्वीकृत किये गये.

क्र.	विकासखण्ड	पंजीकृत/स्वीकृत प्रकरण	
		2007-08	2008-09
1.	बेमेतरा	40	18
2.	बेरला	137	76
3.	धमधा	17	6
	योग	194	100

मण्डी बोर्ड द्वारा विपणन विकास निधि से पुल-पुलिया एवं सड़कों हेतु स्वीकृत राशि

20. (*क्र. 721) श्री रविन्द्र चौबे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 2007-08 एवं 2008-09 में 31-12-2008 तक मण्डीबोर्ड द्वारा विपणन विकास निधि से पुल-पुलिया एवं सड़क निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) यदि हाँ तो उल्लिखित अवधि में दुर्ग जिले में विधान सभावार कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किए गए ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रसेखर साहू) : (क) जी हाँ. (ख) वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में उल्लिखित अवधि दिनांक 31-12-2008 में से दिनांक 05-08-2008 तक दुर्ग जिले में स्वीकृत कार्यों के नाम एवं राशि विधान सभावार † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला रायपुर में हीरा खदान हेतु प्रदत्त प्रास्पेकिंग लायसेंस की शर्तें

21. (*क्र. 778) श्री मोहम्मद अकबर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में कुल कितने क्षेत्रों को हीरा खदान के लिए चिन्हित किया गया है ? इन क्षेत्रों में कुल कितना डिपॉजिट अनुमानित है ? (ख) सन् 2000 से लेकर 23-1-2009 तक कहां-कहां के किनको-किनको उक्त क्षेत्रों में से कितने-कितने क्षेत्र का कब-कब प्रास्पेकिंग लायसेंस या टोही परमिट किन-किन शर्तों के अधीन प्रदान किया गया है ? इन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विभाग द्वारा रायपुर जिले में लगभग 6878 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हीरा खनिज प्राप्त होने की संभावना के तहत सर्वेक्षण हेतु चिन्हित किया गया है. उपरोक्त चिन्हित क्षेत्र में से येहराडीह क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण कर 13.04 लाख कैरेट हीरा के डिपॉजिट होने का अनुमान किया गया है.

(ख) (1) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

(2) विभाग द्वारा हीरा खनिज सर्वेक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र में उक्त स्वीकृत आरपी/पीएल के क्षेत्र की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-7 पर दर्शित है.

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत क्रेसर

22. (*क्र. 752) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनुहर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने क्रेसर उद्योग पंजीकृत हैं एवं कितने क्रेसर कहां-कहां चल रहे हैं इनमें से कितने क्रेसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित हैं ? (ख) किन-किन क्रेसर उद्योगों को कहां-कहां फावर खदानें आर्बिटित हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 54 क्रेसर उद्योग क्लिष्ट व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-रायगढ़ में पंजीकृत हैं. इन क्रेसरों के स्थलों की जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. उपरोक्त क्रेसरों में से 23 क्रेसर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित हैं. (ख) 20 क्रेसर उद्योगों को फावर खदानें आर्बिटित हैं उनकी सूची ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत बस्तर जिले के साभान्वित ग्राम

23. (*क्र. 488) श्री वैदूराम कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2008-09 में बस्तर जिले के लिए एन. टी. सी. को राशि उपलब्ध कराई गई थी ? यदि हाँ, तो जिले के विकासखण्डवार साभान्वित ग्रामों की संख्या बताएं ? (ख) इस योजना में जिले के कितने ग्रामों को सम्मिलित किया गया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं. अतः विकासखण्डवार साभान्वित ग्रामों की संख्या बताए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बस्तर जिले की प्रस्तावित योजना में 1386 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है.

विधान सभा क्षेत्र कसडोल अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों की संख्या

24. (*क्र. 794) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विन्तीय वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अन्तर्गत कसडोल, बलीदा बाजार के लवन आर. आई. सर्किल व पलारी विकासखण्ड में कितने पशु चिकित्सालय व पशु औषधालय हैं ? (ख) क्या वर्ष 2008-09 में विकासखण्ड बलीदा बाजार के ग्राम अहित्दा में पशु औषधालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत कसडोल, बलीदाबाजार के लवन आर. आई. सर्किल व पलारी विकासखण्ड के सभी पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं सभी औषधालयों में पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पदस्थ हैं ? (घ) यदि नहीं, तो कब तक पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की पदस्थापना की जावेगी ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) पशु चिकित्सालय - 03, पशु औषधालय - 16. (ख) जी नहीं, प्रस्ताव पर परीक्षणोपगत निर्णय लिया जावेगा तथा समय सीमा बताना संभव नहीं है. (ग) जी नहीं. (घ) पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों के चयन एवं नियुक्ति को कार्यवाही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एवं शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है तथा 181 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षणगत हैं. समय सीमा बताना संभव नहीं है.

रायपुर जिले में माइनिंग लीज पर उत्खनन एवं रायल्टी

25. (*क्र. 784) श्री देवजी भाई पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसीवा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितनी-कितनी भूमि माइनिंग लीज में किन-किन को कब से कहाँ-कहाँ दी गयी है ? (ख) "क" के लीज धारियों से 31 दिसम्बर, 2008 तक कितनी-कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है ? (ग) किन-किन लीज धारकों ने लीज भूमि पर खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर जिले के धरसीवा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत माइनिंग लीज की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) प्रश्नांश "क" के लीज धारियों से 31 दिसम्बर, 2008 तक जमा की गई रायल्टी की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" के कालम-8 पर दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 823) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

धोरेवा जिले में विभिन्न निवेशकों के साथ किये गये एम. ओ. यू. के अंतर्गत कंपनी के समता दर्शाये गये क्षमता अनुसार प्रस्तावित विद्युत संबंधों का विवरण

क्र.	कंपनी का नाम	परियोजना स्थल	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	ग्राम-पन्नाडी	1 X 300
2.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम-कसीयापाली	2 X 135
3.	मेसर्स एस. एच. पाँवर प्रा. लिमि., हैदराबाद	ग्राम-रेल्की	2 X 63
4.	मेसर्स मारुति कालीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	ग्राम-बंदाछार	1 X 300
5.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरवा	बालको नगर	4 X 300
6.	मेसर्स धीरू पाँवरजेन लिमिटेड, हैदराबाद	ग्राम-धनरास	3 X 350
7.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम-कटरिया	4 X 300
8.	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पाँवर लिमिटेड, हैदराबाद	ग्राम-रतिजा	2 X 50
9.	मेसर्स के. इनजी कंपनी लिमिटेड, रायपुर	ग्राम-परमवानी व कुलधर	1 X 30
10.	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद	ग्राम-पन्नाडी	1 X 300 + 2 X 660
11.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली	ग्राम-बाकावुग	1 X 30
12.	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, रायपुर	ग्राम-छुरी	4 X 135
13.	मेसर्स वंदना एनजी एण्ड स्टील प्रा. लिमिटेड, रायपुर	ग्राम-छुरीभुई	2 X 35
14.	मेसर्स स्वामिनिक स्पॉज एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर	ग्राम-कनवेरी	1 X 50
15.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नई कोरवा	बालको नगर	600 (उक्त क्षमता के विशेष 540 मेगावाट राणा का कपटिन पाँवर प्लांट से उत्पादन प्रारंभ)
16.	मेसर्स के. इनजी लिमि., रायपुर	ग्राम-परमवानी व कुलधर	60

प्रपत्र "ब"

कोरबा जिले में स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों की सूची, जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति/स्थापना सम्मति प्राप्त है

क्र. (1)	विद्युत संयंत्र का नाम (2)	क्षमता (3)
1.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (स्टेज-3), कोरबा (पश्चिम), दूर्ग, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	2 X 300 = 600 मेगावाट
2.	मेसर्स इंडो सर्वो ज एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-झगरहा, राजगावार रोड, जिला-कोरबा (छ. ग.)	10 मेगावाट
3.	मेसर्स कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज-3), एन. टी. पी. सी., जमनीपल्ली, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	1 X 500 = 500 मेगावाट
4.	मेसर्स एन्नुमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	1200 मेगावाट
5.	मेसर्स एस. व्ही. पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रेंकी, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	2 X 60 = 120 मेगावाट
6.	मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पताड़ी, तहसील-कोरबा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	1 X 660 = 660 मेगावाट
7.	मेसर्स स्वास्तिक सर्वो ज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम कनवेरी, तहसील कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	1 X 50 = 120 मेगावाट
8.	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रतिजा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	1 X 50 = 120 मेगावाट
9.	मेसर्स भारत एन्नुमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, जिला-कोरबा (छ. ग.)	300 मेगावाट
10.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-कसाईगाली, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	270 मेगावाट

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 779) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2006 अपर संचालक कृषि (उर्व.), राज्य अधिसूचित प्राधिकारी, संचालनालय कृषि ने 6 उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा अमानक स्तर का उर्वरक विक्रय करने के कारण विक्रय पंजीयन एक माह के लिये निलंबित किये गये थे. उन संचालक कृषि, जिला राजनांदगांव द्वारा नकली खाद निर्माण करने वाली संस्था के विरुद्ध पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की गई एवं पंजीयन निरस्त किया गया है. वर्तमान में प्रकरण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय जिला राजनांदगांव में विचाराधीन है.

क्र. (1)	कंपनी का नाम (2)	उर्वरक का नाम (3)	निलंबन की अवधि (4)
1.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टि. लि.	एस. एस. पी. 16%	दिनांक 30-08-06 से 29-09-06 तक.
2.	जयदाम फास्फेट लिमि.	---,---	दिनांक 28-08-06 से 27-09-06 तक.
3.	टेडको प्रेनाईट लिमि.	---,---	दिनांक 30-08-06 से 29-09-06 तक.
4.	सुहागे एग्रो इंडिया प्रा. लि.	एनपीके मिश्रण 12:32:16, 20:20:10 12:32:6, 15:15:7.5 20:20:00, 8:32:8	दिनांक 30-08-06 से 29-09-06 तक.
5.	जयदा फास्फेट लिमि.	एनपीके मिश्रण 12:32:16, 20:20:10 12:32:6, 15:15:7.5 20:20:00, 8:32:8	दिनांक 30-08-06 से 29-09-06 तक.
6.	किलोपेस्ट इंडिया लिमि.	सूक्ष्म तत्व मिश्रण	दिनांक 22-08-06 से 21-09-2006 तक.
7.	बालाजी स्टील एवं कृषि केन्द्र, नंदई रोड, कुंआ चौक, राजनांदगांव.	नकली खाद	विक्रय पंजीयन निरस्त.

वर्ष 2007 तथा 2008 की जानकारी निरंक है.

प्रपत्र "ब"

(अ) फसल विशेष के लिये प्रतिबंधित किये गये कीटनाशक दवाओं की सूची

क्र. (1)	कीटनाशक औषधि का नाम (2)	फसल का नाम (3)
1.	अल्फा नेप्रवील एसोर्टिक एमिड	मटर, तरबूज
2.	एट्रिबीन	आलू, बाजरा
3.	एलासलेर	गन्ना, बिन्स, आलू, बंधीगोभी, फूलगोभी, प्याज, टमाटर एवं मिर्च
4.	कन्वॉरील	अरण्डी, बेर, तम्बाकू, काफ़ी एवं सिंघाड़ा
5.	फेप्टान	काफ़ी, तम्बाकू, मूंगफली, भुट्टा
6.	क्लोमेक्वाट क्लोराईट	बेर
7.	क्वॉक्वुरान	तम्बाकू
8.	डाईजिनान	सोयाबीन, आम, चाय
9.	टावमिथोएट	सुपारी, बेटलवीन, लुसर्न, हल्दी
10.	डाइकोसाल	मूंगफली, भुट्टा, क्वूमिन, धनिया, सुपारी, नारियल, गन्ना
11.	डाइनोकेप	गेहूं, कुकरबीट्स
12.	डायूरिन	चाय, काफ़ी, सरोटा
13.	इण्डोसल्फॉन	गन्ना, तम्बाकू, काजू कोको
14.	इथेफोन	कुकुम्बर, मूंगफली
15.	फेनथियान	कपास, काउपी, मूंगफली, काफ़ी, हल्दी
16.	फेनीट्रोथियान	कपास, मूंगफली, अरण्डी, सरसों, तोरिया, गन्ना, काफ़ी, तम्बाकू
17.	लिन्डेन	सोरगम, काजू, काफ़ी, वायनट, कारटेमम, मक्का
18.	एम. सी. पी. ए.	गन्ना
19.	मेलथियान	रेड ग्राम, गन्ना, बरसीम, लुसर्न, सांजी
20.	मेन्कोजेब	बिन्स, नारियल, खरबूज, लौकी, बरेला, सूर्यमुखी, बालनट
21.	मिथाइलपैराथियन	क्रेंचबीन, अरण्डी, काफ़ी
22.	आक्सीडेमेटान मिथाइल	मूंगफली, तिल, भिंडी, भाटा, प्याज, आलू, टमाटर, सेब, केला, पिपेस, प्लम, काफ़ी, तंबाकू.
23.	फोरेट	काफ़ी
24.	पैराक्वाट डाईक्लोराईट	मिन्ट, टोपिओका
25.	प्रोपेनिल	धान, आलू
26.	पायरेथम	कपास
27.	क्विनालफॉस	कुकरबीट्स, नारियल, तंबाकू
28.	ट्राईक्लोरोफ़ेन	रेड ग्राम, बेंगालग्राम, काफ़ी, तंबाकू
29.	थियोमेटान	काफ़ी, गन्ना, कपास, अरण्डी, मूंगफली, सरसों, कुरुमु, तंबाकू, काउपी
30.	जाइरम	बिन्स
31.	क्विनेब	ओषियम, बिन्स

(ब) पूर्ण प्रतिबंधित कीटनाशक औषधियों की सूची :-

(1) डाल्फोन (2) फेरम (3) फॉरमोथियन (4) निक्ल क्लोराईट (5) फेरा-डाईक्लोरोबेंजीन (6) सिमाजीन (7) वारफेरिन

उक्त प्रतिबंध वर्ष 2006 में लगाया गया जो वर्ष 2007 एवं 2008 में भी जारी है.

प्रपत्र "स"

क्र. (1)	कंपनी का नाम (2)	उर्वरक का नाम (3)	मात्रा (मे. टन) (4)	दर (रु./टन) (5)	राशि (रु. मे) (6)
1.	इरुको	यूरिया डी. ए. पी. एन. पी. के. (10:26:26) एन. पी. के. (12:32:16)	59,312.85 28750.20 50.00 21529.05	4,815.20 9438.00 8408.40 8533.20	28,56,03,235.32 271344387.60 420420.00 183711689.46
		योग	1,09,642.10	-	74,10,79,732.38
2.	कृभवो	यूरिया	75176.95	4815.20	361992049.64
3.	एन. एफ. एल.	यूरिया	72924.40	4815.20	351145570.88
4.	आर. सी. एफ.	यूरिया	12245.90	4815.20	58966457.68
5.	नागार्जुन	यूरिया	3100.40	4815.20	14929046.08
6.	मधु फर्टिलाइजर	यूरिया डी. ए. पी. पोटाश एन. पी. के. (14:35:14) एन. पी. के. (12:32:16) एस. एस. पी. त्रिक सल्फेट	50848.05 7711.50 7423.90 17.00 2323.85 4955.25 18.00	4815.20 9438.00 4425.20 8694.40 8533.20 3500.00 24300.00	244843530.36 72781137.00 32852242.28 147804.80 19829876.82 17343375.00 437400.00
		योग	73,297.55	-	38,82,35,366.26
7.	जी. एन. व्ही. एफ. सी.	यूरिया	1517.75	4815.20	7308269.80
8.	आई. पी. एल.	यूरिया पोटाश	834.00 16332.05	4815.20 4425.20	4015876.80 72272587.66
		योग	17,166.05	-	7,62,88,464.46
9.	पी. पी. एल.	डी. ए. पी. पोटाश एन. पी. के. (12:32:16)	23245.90 1076.00 3992.20	9438.00 4425.20 8533.20	219394804.20 4761515.20 34066241.04
		योग	28,314.10	-	25,82,22,560.44
10.	कोरोमंडल	डी. ए. पी. एन. पी. के. (28:28:0) एन. पी. के. (10:26:26) एन. पी. के. (12:32:16)	4969.80 82.20 780.00 2026.30	9438.00 9183.20 8408.40 8533.20	46904972.40 754859.04 6558552.00 17290823.16
		योग	7,858.30	-	7,15,09,206.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	श्रीराम फर्टिलाइजर	पोटाश एस. एस. पी.	13.00 2842.85	4425.20 3500.00	57527.60 9919975.00
		योग	2,855.85	-	1,00,07,502.60
12.	बी. ई. सी.	एस. एस. पी.	22035.90	3500.00	77125650.00
13.	जयराम फास्फेट	एस. एस. पी.	7145.50	3500.00	25009250.00
14.	रामा फास्फेट	एस. एस. पी.	753.90	3500.00	2638650.00
15.	सुहाने एगो	एस. एस. पी. जिंक सल्फेट	960.95 162.85	3500.00 24300.00	3363325.00 5957133.50
		योग	1,123.80	-	73,20,458.50
16.	ए. एस. फर्टिलाइजर	जिंक सल्फेट	206.00	24300.00	5005800.00
17.	ओम केमिकल्स	जिंक सल्फेट	317.26	24300.00	7709296.50
		महायोग	4,35,681.80	-	2,46,44,93,331.82

परिशिष्ट "तीन"

[तारकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 678) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2007-08 में विक्रित की गई विद्युत की दर का विवरण

स. क्र.	कंपनी/ट्रस्ट का नाम	यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	दर रु. प्रति यूनिट	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड.	450000	6.15	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत का निर्यात जब और जैसी उपलब्ध हो के आधार पर किया गया है. विद्युत प्रदाय का डिजीबरी पाईट लगभग की परंपरा लाईन एवं पावर ग्रिड कार्रवाई की ग्रिड का संयोजन विन्दु है. डिजीबरी पाईट के अंतर्गत अन्य व्यय जैसे कि ओपन एक्सेस चार्जस लाईन लॉस आदि क्रता को बहन करने हेतु एवं डिजीबरी पाईट तक के व्यय का बहन छ. रा. बि. म. द्वारा किया जायेगा इसके अतिरिक्त क्रता द्वारा देयक का भुगतान दस दिवस में करने पर छ. रा. बि. म. द्वारा कुल देय राशि पर 2 प्रतिशत की सूट दी जायेगी एवं भुगतान 30 दिवस के अन्तर्गत प्राप्त होने पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार लिया जायेगा. प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार लिया जायेगा. इसके अतिरिक्त रु. 6.98, रु. 6.75 प्रति यूनिट की दर से मेसर्स पाटीसी को फर्म फ्या विक्रित की गई थी जिसमें शेड्यूल पावर की मात्रा से 80 प्रतिशत से कम व्यय अथवा विक्रय होने की स्थिति में रु. 1.00 प्रति यूनिट/ 95 पैस प्रति यूनिट की दर से क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान था.
		4665000	6.94	
		1200000	8.26	
		2187500	8.40	
		6150000	6.50	
2.	मेसर्स अदानी इंटरप्राइजेज	1462500	6.92	
		1625000	6.98	
3.	मेसर्स पीटीसी	8025000	5.21	
		33871500	6.75	
		4500000	8.00	
		25200000	6.61	
		36600000	6.50	
		57044500	8.50	
		24275000	8.40	
900000	6.98			
4.	मेसर्स एनटीपीसी व्हीवीएनएल	6525000	6.50	

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2008-09 में विक्रित की गई विद्युत की दर का विवरण

स. क्र.	कंपनी/ट्रेडर्स का नाम	यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	दर रु. प्रति यूनिट	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेसर्स पीटीसी	8861700	6.61	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत का विक्रय अब और बेसी उपलब्ध हो के आधार पर किया गया है. जिसमें न्यूनतम दर रु. 5.51 प्रति यूनिट थी. विद्युत प्रदाय का डिलीवरी पाईट छ. रा. वि. मं. की पारंपण लाईन एवं पॉवर ग्रिड कार्रेशन की ग्रिड का संयोजन बिन्दु है. डिलीवरी पाईट के उपरांत अन्य व्यय जैसे कि ओपन एक्सेस चार्जस लाईन लॉस आदि क्रेता को वहन करने होंगे एवं डिलीवरी पाईट तक के व्यय का वहन छ. रा. वि. मं. द्वारा किया जावेगा इसके अतिरिक्त क्रेता द्वारा देयक का भुगतान दस दिवस में करने पर छ. रा. वि. मं. द्वारा कुल देय राशि पर 2 प्रतिशत की छूट दी जावेगी एवं भुगतान 30 दिवस के उपरांत प्राप्त होने पर 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिभार लिया जावेगा. इसके अतिरिक्त रु. 7.03 प्रति यूनिट की दर से मेसर्स पीटीसी को फर्म पावर विक्रित की गई जिसमें रोट्यूटल पॉवर की मात्रा से पीटीसी द्वारा 80 प्रतिशत से कम क्रय करने पर छ. रा. वि. मं. को रु. 1.96 प्रति यूनिट की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जावेगा. इसी प्रकार 80 प्रतिशत से कम विक्रय करने पर रु. 2.00 प्रति यूनिट की दर से छ. रा. वि. मं. द्वारा पीटीसी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जावेगा.
		137418150	7.03	
		27436700	8.01	
		218400000	8.75	
		9350000	8.60	
		3850000	7.81	
		600000	7.50	
		33450000	8.50	
		9850000	7.00	
		33598000	8.96	
		2900000	7.51	
		150600000	8.76	
		2500000	8.51	
		8925000	8.71	
		900000	8.53	
		7600000	9.21	
		16800500	8.46	
		2450000	7.01	
		6857000	7.07	
		4850000	7.96	
		100000	9.11	
		13250000	6.46	
		1050000	8.91	
		550000	5.96	
		34300000	7.05	
		186200000	9.06	
		30000000	9.32	
		2746000	7.04	
2.	मेसर्स एनटीपीसी श्रीवहीएनएल.	2600000	9.12	

प्रपत्र "स"

वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में पी. टी. सी. के माध्यम से आईईएक्स (इंडियन एनर्जी एक्सचेंज) में विक्रित विद्युत की दर का विवरण

क्रमांक	वर्ष	कुल यूनिट (केडब्ल्यूएच)	रु. प्रति यूनिट	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2007-08	निरंक	निरंक	आईईएक्स में विद्युत विक्रय हेतु दिल्लीवरी पाइंट पश्चिम क्षेत्र की सीमा है.
2.	2008-09 (24 जनवरी तक)	140388710	6.47	पीटीसी द्वारा देयक का भुगतान 5 दिवस के उपरांत करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक अग्रिम का प्रावधान है.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 763) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला बस्तर में वर्ष 2007-08 में पंजीबद्ध किये गये 21 अवैध उत्खनन के प्रकारों का विवरण

क्र.	अवैध रूप से उत्खनन करने वाले का नाम जिनके प्रकार पंजीबद्ध किये गये	प्रकार पंजीबद्ध करने का दिनांक	खनिज का नाम	ग्राम का नाम	प्रकार पर की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री रामू राव बालाजी चार्ड, जगदलपुर	15-5-2007	मिट्टी (ईट)	करकपाल	रुपये 2200.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
2.	श्री शंकर राव जगदलपुर/श्री लोको पिता दोनों ग्राम खुटपदर.	15-5-2007	पत्थर	खुटपदर	प्रकार अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
3.	श्री लच्छन नायडू बाबु समेरा, जगदलपुर	15-5-2007	मिट्टी	कोपगुड़ा	प्रकार अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
4.	श्री लखमू मलियाड़ा पारा जगदलपुर/श्री लक्ष्मीराव आड़ावाल.	15-5-2007	मिट्टी (ईट)	कुरंती सुलियागुड़ापारा	प्रकार अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
5.	श्री रविन्द्र गुप्ता आवास प्लॉट जगदलपुर	15-5-2007	मिट्टी (ईट)	करकपाल	रुपये 6000.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
6.	श्री हरीश देवांगन ग्राम भगदेवा कोण्डागांव	24-5-2007	मिट्टी (ईट)	भगदेवा, कोण्डागांव	रुपये 5000.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
7.	श्री आनन्दराम देवांगन, कोण्डागांव	24-5-2007	मिट्टी (ईट)	भगदेवा, कोण्डागांव	रुपये 2200.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
8.	श्री सुधराम देवांगन, कोण्डागांव	24-5-2007	मिट्टी (ईट)	भगदेवा, कोण्डागांव	रुपये 3550.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
9.	श्री सदाराम देवांगन, कोण्डागांव	24-5-2007	मिट्टी (ईट)	भगदेवा, कोण्डागांव	रुपये 2200.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
10.	श्री सोनूराम ग्राम पलारी, कोण्डागांव	31-5-2007	मिट्टी (ईट)	पलारा कोण्डागांव	रुपये 7000.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
11.	श्री एस. सी. सुब्रमणियम नि. आंध्रप्रदेश/ द्वारा कार्यपालन यंत्री प्रधान मंत्री ग्रामीण रोजगार योजना.	04-06-2007	मुसूम, पत्थर	बंडाजी	प्रकार अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
12.	श्री कमलेश ग्राम मांझीगुड़ा, जगदलपुर	03-9-2007	चुनापत्थर, मिट्टी	कोयना	अपर कलेक्टर द्वारा दोषमुक्त आदेश पारित.
13.	श्री विक्रम सिंह परिहार, जगदलपुर	03-9-2007	चुनापत्थर, मिट्टी	मावलीपदर	प्रकार अपर कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन.
14.	श्री अरुण कुमार साहू ग्राम सरगीपाल, कोण्डागांव.	06-09-2007	मिट्टी (ईट)	बमहनी, कोण्डागांव	रुपये 7000.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
15.	श्री मुकन्द देवांगन	18-9-2007	मिट्टी (ईट)	सम्बलपुर, कोण्डागांव	रुपये 2200.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.
16.	श्री गिरजा पटेल, सम्बलपुर, कोण्डागांव	28-09-2007	मिट्टी (ईट)	सम्बलपुर, कोण्डागांव	रुपये 2800.00 अर्बदण्ड की राशि वसूल की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	श्री गजेन्द्र नाथ जोशी, ग्राम तितिरगांव/ श्री गंगाधर गौतम पटेल/श्री भंगडू, ग्राम तितिरगांव, जगदलपुर.	15-10-2007	पत्थर	तितिरगांव	प्रकरण अफर कलेक्टर न्यायालय में चिन्ताधीन.
18.	श्री भगवान दास जैन, सरगीपाल, जगदलपुर.	23-11-2007	चूनापत्थर, बोलडा	तितिरगांव	प्रकरण अफर कलेक्टर न्यायालय में चिन्ताधीन.
19.	श्री मनीराम ग्राम इरीकपाल/ श्री नीलाम्बर/जलन सिंह ग्राम इरीकपाल	23-11-2007	पत्थर, गिट्टी	मालगांव	प्रकरण अफर कलेक्टर न्यायालय में चिन्ताधीन.
20.	श्री विजय पास्टर, बड़े मुर्मा जगदलपुर	10-3-2008	पत्थर, गिट्टी	बड़ेघोडा	प्रकरण अफर कलेक्टर न्यायालय में चिन्ताधीन.
21.	श्री विक्रम सिंह परिहार निन्ामी कबोरा जगदलपुर.	10-3-2008	पत्थर, गिट्टी	काकरवाड़ा	प्रकरण अफर कलेक्टर न्यायालय में चिन्ताधीन.

जिला बस्तर में वर्ष 2007-08 में दर्व 57 अवैध परिवहन के प्रकरणों का विवरण

क्र.	अवैध परिवहन कर्ता का नाम जिनके प्रकरण पंजीबद्ध किये गये	प्रकरण पंजीबद्ध करने का दिनांक	खनिज का नाम	ग्राम का नाम	वाहन क्रमांक	मात्रा	प्रकरण पर की गई कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आदिवासी हरिजन स्टोन क्रेशर बंहाजी	3-4-2007	मुख्य खनिज चूनापत्थर	बंहाजी	ट्रक सीजी 17 जेड सी 0596	4 घन मीटर अधिक	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
2.	श्री बंशी सेठिया, ग्राम रायकोट	17-4-2007	गिट्टी बोल्टर	रायकोट	ट्रक सीजी 17 एच 1035	6 घन मीटर	रुपये 3000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
3.	श्री किशोर कुमार मोरला, ब्लॉक तोकापाल	17-4-2007	गिट्टी बोल्टर	तोकापाल	ट्रक सीजी 07 सी 3941	6 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
4.	श्री हरदीप सिंह सरजीत सिंह, रायपुर	3-5-2007	पत्थर	छापरभानपुरी	ट्रक सीजी 04 0774	6.50 घन मीटर अधिक	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
5.	श्री सुरजीत सिंह खनियापुर, उ. प्र.	3-5-2007	पत्थर	छापरभानपुरी	ट्रक 04 जे 0498	5 घन मीटर अधिक	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
6.	श्री गोपीनाथ, तेलंगांआरापर	7-5-2007	फर्शीपत्थर	भेजरीपदर	ट्रेक्टर सीजी 17 सी 0497	2 घन मीटर अधिक	रुपये 1500.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
7.	श्री निलेश गुप्ता, जगदलपुर	7-5-2007	साधारण पत्थर	पररा	ट्रेक्टर सीजी 04 डी 416	3 घन मीटर अधिक	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
8.	श्री कमलोचन, सरगीपाल	18-5-2007	मिट्टी (ईंट)	सरगीपाल	ट्रेक्टर सीजी 05 7518	2 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
9.	श्री ए. नारायण, गौदम	23-5-2007	गिट्टी	बंहाजी	ट्रक सीजी 18 जेसी 0352	15 मि. टन	रुपये 5000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	श्री तुलाराम देवांगन, अधनुपर जगदलपुर	28-5-2007	बोल्डर	गढ़िया	टुक सीजी 17 जेड सी सीओ 190	8 घन मीटर	रुपये 2500.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
11.	श्री खेमराज सिंह मरेठ, भोपालपटनम	31-5-2007	चूनापत्थर	छिन्दगांव	टुक सीजी 04 जी 2087	10 घन मीटर	रुपये 4000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
12.	श्री सोबो निषाद, भिलाई	1-6-2007	गिट्टी	छिन्दगांव	टुक सीजी 07 सी 4876	12.50 मि. टन	रुपये 5000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
13.	श्रीमती हीरामति प्रसाद कुम्हारपारा	6-6-2007	रेत	कलचा	ट्रेक्टर 475 श्री. आई.	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
14.	श्री रामधर, जगदलपुर	14-6-2007	मुक्कम	आमागुडा	ट्रेक्टर सीजी 17 0448	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
15.	श्री हरीशचन्द्र हरिजन विलाडील	2-7-2007	चूनापत्थर	सिरिसागुडा	टुक सीजी 04 जेड सी 6555	6 घन मीटर अधिक	रुपये 2640.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
16.	श्री रामच्यारी, निवानार	6-7-2007	मुक्कम	निवानार	टुक सीजी 17 05 9884	9 घन मीटर	रुपये 1300.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
17.	श्री प्रदीप गोयल, जगदलपुर	6-7-2007	रेत	फरपा	टुक सीजी 17 एच 0758	5 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
18.	श्री भोला झा, जगदलपुर	18-7-2007	मुख्य खनिज चूनापत्थर	छारभानपुरी	टुक सीजी 18 जेडसी 198	6 घन मीटर	रुपये 3000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
19.	श्री भोला झा, जगदलपुर	18-7-2007	मुख्य खनिज चूनापत्थर	छारभानपुरी	टुक सीजी 17 जेडसी 801	6 घन मीटर	रुपये 3000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	श्री मोहन ठाकुर, जगदलपुर	7-7-2007	मुख्य खनिज रेत	दुबेंउमरागांव	ट्रक सीजी 17 जेडसी 0761	6 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
21.	श्री सत्यम नाथडू, छम्हारडीह नगरनार	9-7-2007	मिट्टी (ईंट)	छम्हारडीह	ट्रेक्टर सीजी 17 जेडसी 0915	4 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
22.	श्री इन्द्रजीत सिंह बोधघाट कालोनी, जगदलपुर	22-12-2007	मिट्टी (ईंट)	कलधा	ट्रेक्टर सीजी 17 एच 0449	2 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
23.	श्री हिडमा	24-7-2007	मिट्टी (ईंट)	जगदलपुर	ट्रेक्टर सीजी 18 जेडसी 0351	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
24.	भुजबल उलनार	29-8-2007	मिट्टी पत्थर	तारागुहा	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 1289	3 घन मीटर	रुपये 1200.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
25.	श्री विजय कुमार कस्तुरपाल	17-9-2007	मिट्टी	बंहाजी	ट्रक सीजी 17 जेडसी 718	6 घन मीटर	रुपये 5000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
26.	श्री अनिल बिसाई बकावण्ड	1-10-2007	पत्थर मिट्टी	उड़ियापाल	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 0630-631	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
27.	श्री महेन्द्र श्रीवास्तव, जगदलपुर	3-10-2007	चूनापत्थर, बोलहर	पिपलावण्ड	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 0129	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
28.	श्री नितेश दीक्षित, जगदलपुर	4-10-2007	मुख्य खनिज, चूनापत्थर	भानपुरी	ट्रेक्टर सीजी 19 एच 1343	6 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
29.	श्री सतीश अग्रवाल, छापराभानपुरी	5-10-2007	मुख्य खनिज, चूनापत्थर	छापराभानपुरी	ट्रक सीजी 18 जेडसी 034	6 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30.	श्री कमलेश पटेल, जगदलपुर	6-10-2007	गिट्टी (ईट)	धोबीगुड़ा	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 12-97	4 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
31.	श्री समलू, मेटावाडा	8-10-2007	साधारण गिट्टी	आरापुर	ट्रक सीजी 17 0363	5 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
32.	श्री रामचरण, जगदलपुर	15-10-2007	गिट्टी	छिन्दगांव	ट्रक सीजी 18 एच 0534	6 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
33.	श्री प्रेमलाल, जगदलपुर	15-10-2007	गिट्टी	छिन्दगांव	ट्रक सीजी 17 जेडसी 0455	6 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
34.	श्री धनसिंह, नगरनर	24-1-2007	रेत	माझीगुड़ा	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 1747	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
35.	श्री सहायराज, नतरावण्ड	24-10-2007	पत्थर गिट्टी	उडियापाल	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 0848	3 घन मीटर	रुपये 1200.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
36.	श्री रमेश, विशाखापट्टनम	30-11-2007	मुक्कम	उसरीवेडा लोहण्टीगुड़ा	ट्रक एजी 3-474698	6 घन मीटर	रुपये 9000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
37.	श्री राम, सरणीपाल	8-11-2007	साधारण पत्थर	सरणीपाल	ट्रेक्टर सीजी 5-7597	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
38.	श्री दयाराम, कोडागांव	28-11-2007	बुनापत्थर गिट्टी	दिकनपाल	ट्रक एजी 16-5-3346	5 घन मीटर	रुपये 4000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
39.	श्री जोगेन्द्र सिंह, कोंडागांव	1-12-2007	पत्थर, गिट्टी	कालेगा	ट्रक सीजी 17 जेडसी 0122	6 घन मीटर	रुपये 2400.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.	श्री शंकर, कोडागांव	4-12-2007	चूनापत्थर, गिट्टी	दुबेउमरगांव	टुक सीजी 17 जेडसी 0433	20 घन मीटर	रुपये 5000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
41.	श्री प्रेम, तेतरखुटी	17-12-2007	चूनापत्थर, गिट्टी	लामनी	ट्रेक्टर सीजी 17 जेड 0665	3 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
42. -	श्री किशोर, भाटागडा	19-12-2007	पत्थर गिट्टी	उड़ियापाल	टुक सीजी 17 एचडी 290	3 घन मीटर	रुपये 1500.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
43.	श्री हिंगराज, कुरवकावण्ड	19-12-2007	गौण खनिज पत्थर गिट्टी	उड़ियापाल	ट्रेक्टर सीजी 17 जी-0654	3 घन मीटर	रुपये 1200.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
44.	श्री कमल राजनगर, बकावण्ड	19-12-2007	पत्थर गिट्टी	उड़ियापाल	टुक सीजी 17 जेडसी 053	5 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
45.	श्री उपेन्द्र कुमार, कोडागांव	27-12-2007	चूनापत्थर, गिट्टी	दुबेउमरगांव	टुक सीजी 04 जे 761	4 घन मीटर	रुपये 3000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
46.	श्री राजू, जगदलपुर	27-12-2007	चूनापत्थर	बालेंगा	टुक सीजी 17 एच 0510	6 घन मीटर	रुपये 4500.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
47.	श्री रमेश, केशलूर	2-1-2008	गौण खनिज पत्थर	नैननार	टुक एपी 94 6184	5 घन मीटर	रुपये 2000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
48.	श्री रामवनद्र, चितापुर	2-1-2008	पत्थर	नैननार	ट्रेक्टर सीजी 17 26-0543	4 घन मीटर	रुपये 1500.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
49.	श्री लच्छू, छोटेगुडरा	19-2-2008	पत्थर, गिट्टी	डिलमिली	टुक सीजी 17 1507	15 घन मीटर	रुपये 6000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50.	श्री विरेन्द्र, तोंगपाल	20-02-2008	मिट्टी (ईट)	तोंगपाल	ट्रेक्टर सीजी 17 जी 2068	2.50 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
51.	श्री गुड्डो देवडा	22-2-2008	चूनापत्थर	छोटेदेवडा	ट्रेक्टर सीजी 05 1793	3 घन मीटर	रुपये 1500.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
52.	श्री देवगन, पीठापुर	23-2-2008	साधारण मिट्टी	डेगगुडा बकावण्ड	ट्रेक्टर सीजी 0117	3 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
53.	मे. एंटी ग्रेडेड कंपनी केम्प, बंढाजी	29-2-2008	मुक्कम	बंढाजी	ट्रेक्टर जे 275	6 घन मीटर	रुपये 5000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
54.	मे. एंटी ग्रेडेड कंपनी केम्प, बंढाजी	29-2-2008	मुक्कम	बंढाजी	ट्रेक्टर सीजी 17 05-762/डीआई	6 घन मीटर	रुपये 5000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
55.	श्री योगेश पानराही, कनीतगांव	3-3-2008	पत्थर, चोल्टर	तारागुडा	ट्रेक्टर सीजी 05 ए 4495	2 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
56.	साई लक्ष्मी कंपनी केम्प, बंढाजी	11-3-2008	चूनापत्थर	बंढाजी	परिवहन कर डम्प किया गया.	320 मि. टन	रुपये 20000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
57.	श्री कुमार कश्यप, देउगांव	31-3-2008	चूनापत्थर	बंढाजी	सीजी 17 एन क 817	20 घन मीटर	रुपये 1000.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.
						योग	रुपये 144940.00 अर्धदण्ड की राशि वसूल की गई.

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 489) के भाग (क) एवं (ख) की शरतकांठी]

वर्ष 2007-08 में खर्चनित विद्यार्थियों की सूची

क्र. (1)	खर्चनित छात्र/छात्रा का नाम (2)	कक्षा (3)	खर्चनित संस्था का नाम (4)	वार्षिक खर्च (5)
1.	श्री भुपेन्द्र कुमार मरापी	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
2.	कु. मेहा मंडावी	6वीं	युग बेतना पब्लिक स्कूल बिलाई, जिला दुर्ग	61000
3.	कु. शशिलिनी नेताम	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
4.	कु. हेमलता	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
5.	श्री सनपत करयप	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
6.	श्री हेमन्त कुमार	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
7.	श्री मोतीराम	6वीं	ज्ञानगंगा एजुकेशन सोसायटी, रायपुर	74700
8.	श्री अनिल कुमार	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
9.	कु. रितु	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
10.	कु. ज्योत्सना करयप	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
11.	श्री सोमाकराम	6वीं	ज्ञानगंगा एजुकेशन सोसायटी, रायपुर	74700
12.	श्री मुकेश कुमार पोयाम	6वीं	युगान्तर पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	67600
13.	कु. लक्ष्मी नायक	9वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
14.	श्री संजय नेताम	9वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
15.	कु. संगीता कावडे	9वीं	युग बेतना पब्लिक स्कूल बिलाई जिला दुर्ग	65000
योग				622000

वर्ष 2008-09

1.	श्री कमलेश	6वीं	इण्डियन पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	63000
2.	कु. भावना ठाकुर	6वीं	इण्डियन पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	63000
3.	श्री गौतम ठाकुर	6वीं	इण्डियन पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	63000
4.	हिमांशु शेखर मरकाम	6वीं	शिवा पब्लिक स्कूल बिलाई, जिला दुर्ग	40500
5.	श्री चंदनलाल	6वीं	छ. ग. पब्लिक स्कूल, रायपुर	95000
6.	श्री सुरेश कुमार	6वीं	छ. ग. पब्लिक स्कूल, रायपुर	95000
7.	कु. बामिनी कान्हे	6वीं	शिवा पब्लिक स्कूल बिलाई, जिला दुर्ग	40500
8.	कु. समा बट्टी	6वीं	आदेश्वर अकादमी, जगदलपुर	85500
9.	कु. मुलराज फाफा	6वीं	राजकुमार कॉलेज, रायपुर	117700
10.	कु. हेमा कोसमा	6वीं	आदेश्वर अकादमी, जगदलपुर	85500
11.	श्री जयवंत कुमार मण्डावी	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
12.	श्री धनीराम मण्डावी	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
13.	श्री सूर्येश कुमार	6वीं	युग बेतना पब्लिक स्कूल बिलाई, जिला-दुर्ग	61000
14.	कु. रंजना	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
15.	श्री तरुण कुमार धुव	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
16.	श्री रोशन कुमार नाग	6वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
17.	कु. रुकमणी	6वीं	आदेश्वर अकादमी, जगदलपुर	85500
18.	कु. भारती नाग	6वीं	आदेश्वर अकादमी, जगदलपुर	85500
19.	श्री देवेन्द्र कुमार	9वीं	युगान्तर पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	71000
20.	श्री मिथलेश कुमार	9वीं	ज्ञानगंगा एजुकेशन सोसायटी, रायपुर	77500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	श्री हर्षवर्धन धुव	9वीं	इण्डियन पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव	69500
22.	श्री गोवर्धन मण्डावी	9वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
23.	महेन्द्र कुमार नाग	9वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
24.	श्री अनिल धुव	9वीं	सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. कंगोली, जगदलपुर	27900
योग				1421900

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 793) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

तहसील कसडोल के अंतर्गत प्रभावित ग्रामों की आनावारी एवं जनसंख्या वर्ष 2001 के अनुसार (2008-09)

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	आनावारी 2008-09	प्रभावित जनसंख्या-2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वारेकेल	1	0.30	विगन
2.	बल्दाकछार	"	0.34	1057
3.	रीनासरा	"	0.36	45
4.	फुटपुरा	"	0.36	823
5.	पैरागुडा	2	0.36	176
6.	जूडमुडी	3	0.29	219
7.	फुरफुन्दी	"	0.30	358
8.	बकला	"	0.32	138
9.	नारायणपुर	4	0.30	489
10.	टिपकंग	15	0.33	384
11.	दरौ	"	0.32	796
12.	मानाकोनी	"	0.35	964
13.	सोनाखान	22	0.30	5801
14.	करमेल	23	0.30	294
15.	कल्पमीदादर	"	0.34	222
16.	कुरमाझर	"	0.35	283
17.	कौहाजुनवाडी	"	0.35	360
18.	छाता	"	0.35	675
19.	नगेडा	"	0.36	802
20.	नगेडी	"	0.35	891
21.	निडोरा	"	0.36	802
22.	बानीछार	"	0.34	302
23.	मगरदहाराचुर्द	"	0.35	विगन
24.	मगरदहाराकण	"	0.36	308
25.	अमरुवा	24	0.33	728
26.	अचानकसुर	24	0.34	118
27.	कुम्हरी	"	0.32	234
28.	गाताझर	"	0.33	732
29.	चंदन	"	0.35	1388
30.	छतवन	"	0.36	1246
31.	देवरी	"	0.31	821
32.	देवरुंग	"	0.30	395
33.	देवगांव	"	0.32	319
34.	वाहामादा	"	0.34	247
35.	सुकरी	"	0.33	787
36.	भिकरी	"	0.33	विगन
37.	कोसमसरा	25	0.36	577
38.	कुटकुटी	"	0.25	809
39.	चेचरापाली	"	0.35	739
40.	फकीद	"	0.35	326

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41.	बया	25	0.30	1349
42.	रिंकोखुर्द	..	0.35	527
43.	रिंकोभला	..	0.30	1105
44.	रुनडुनी	..	0.30	205
45.	दूमरपाली	..	0.35	878
46.	रंगेरा	..	0.30	970
47.	कुरागढ़	26	0.32	590
48.	कुराभांठा	..	0.33	1043
49.	खैरा	..	0.31	803
50.	धरगांव	..	0.30	1570
51.	नगरदा	..	0.32	619
52.	बरपानी	..	0.34	933
53.	भानपुर	..	0.30	525
54.	मानदीप	..	0.33	819
55.	सोनपुर	..	0.34	139
राजस्व ग्राम योग-55				39785 प्रभावित जनसंख्या

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 15 (अ. 790) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

संचालन हेतु ठेके पर दिये गये एवं ठेके पर नहीं दिये गये सब-स्टेशनों की जिलेवार संख्या की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	ठेके पर दिये गये सब-स्टेशनों की संख्या	ठेके पर नहीं दिये गये सब-स्टेशनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायपुर	113	18
2.	महाराष्ट्र	44	2
3.	धमतरी	36	2
4.	दुर्ग	34	19
5.	राजनांदगांव	34	6
6.	कबीरधाम (कलधारा)	23	2
7.	बस्तर	14	4
8.	कोरम	14	1
9.	दत्तवाड़ा	7	2
10.	नागबल्लपुर	1	-
11.	बीजापुर	4	-
12.	विलासपुर	67	6
13.	जांजगीर-बांस	33	3
14.	कोरबा	18	4
15.	रायगढ़	41	5
16.	जयपुर नगर	12	-
17.	सरगुजा	32	5
18.	कोरिया	10	2
	योग	587	81

प्रपत्र "ब"

दुर्ग जिले में ठेके पर दिये गये सब-स्टेशनों की क्षमता एवं उनकी मासिक दर की सब-स्टेशनवार जानकारी

क्र.	सब-स्टेशन का नाम	कुल क्षमता	ठेके की दर (मासिक)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, उतई	10 एम. व्ही. ए.	24371.00
2.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, रसमड़ा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
3.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, नगपुरा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
4.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, हुडको	5 एम. व्ही. ए.	24371.00
5.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, गाड़ाडीह	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
6.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, 5 बिल्डिंग	10 एम. व्ही. ए.	24371.00
7.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, रुआबांधा	8.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
8.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, तिरगाझोला	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
9.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, पुलगांव	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
10.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, ठेलका चौक	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
11.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, दागांव	1.16 एम. व्ही. ए.	24371.00
12.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, हल्दी	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
13.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, रीवागीन (मोखा)	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
14.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, अमलेश्वर	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
15.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, जामगांव (आर)	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
16.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, अहिवारा	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
17.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, गुण्डारदेही	8.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
18.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, अरसनारा	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
19.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, घमघा	4.75 एम. व्ही. ए.	24371.00
20.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, अर्जुन्दा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
21.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, जेवरा सिरसा	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
22.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, जुनवानी	5 एम. व्ही. ए.	24371.00
23.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, देवकर	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
24.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, रानीतराई	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
25.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, जामगांव (टी)	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
26.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, लिटिया बोरी	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
27.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, परपोड़ी	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
28.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, केसरा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
29.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, सिकोसा	5 एम. व्ही. ए.	24371.00
30.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, सांकरा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, लाटाबोड़	8.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
32.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, करही भदर	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
33.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, निपानी	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
34.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, गुरूर	10 एम. व्ही. ए.	24371.00
35.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, फागुन्दा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
36.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, वामीन	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
37.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, पलारी	10 एम. व्ही. ए.	24371.00
38.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, पेरपार	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
39.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, सनीद	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
40.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, डोंडी	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
41.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, डोंडीलोहारा	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
42.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, भंवरमरा	1.6 एम. व्ही. ए.	24371.00
43.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, खपरी	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
44.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, जेवरतला	1.6 एम. व्ही. ए.	24371.00
45.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, परसुली	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
46.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, सुरेगांव	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
47.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, मटका	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
48.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बेरला	5 एम. व्ही. ए.	24371.00
49.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, सरदा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
50.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, नेवनारा	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
51.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, गोढ़ी	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
52.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, नांदघाट	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
53.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, टेमरी	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
54.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, कारेसरा	4.75 एम. व्ही. ए.	24371.00
55.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, देवरबीजा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
56.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, खैरझिटी	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
57.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बालसमुंद	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
58.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, साजा	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
59.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, ठेलाका	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
60.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, मोहगांव	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
61.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बोरतरा	1.6 एम. व्ही. ए.	24371.00
62.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, खम्हरिया	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00
63.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, दाढ़ी	8.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
64.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, नवागढ़	6.30 एम. व्ही. ए.	24371.00

(1)	(2)	(3)	(4)
65.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, छिन्नहा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
66.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, सम्बलपुर	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
67.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, अंधियारखोर	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
68.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, मारो	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
69.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, विरसावरकर नगर	10 एम. व्ही. ए.	24371.00
70.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, हथम्बोज	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
71.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, पट्टमनगर	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
72.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, कुम्हारी	10 एम. व्ही. ए.	24371.00
73.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, करुण हॉस्पिटल	5 एम. व्ही. ए.	24371.00
74.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, कैलाश नगर	5 एम. व्ही. ए.	24371.00
75.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, चरोदा	8.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
76.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, खेदामारा	3.15 एम. व्ही. ए.	24371.00
77.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, मोहंतीपाट	1.6 एम. व्ही. ए.	24371.00
78.	132/33 के. व्ही., धमधा	40 एम. व्ही. ए.	57334.00
79.	132/33 के. व्ही., साजा	20 एम. व्ही. ए.	57334.00
80.	132/33 के. व्ही., नवागढ़	40 एम. व्ही. ए.	57334.00
81.	132/33 के. व्ही., कुरुद	40 एम. व्ही. ए.	57334.00
82.	132/33 के. व्ही., ईरागुडा (गुण्डरदेही)	40 एम. व्ही. ए.	57334.00
83.	220/132/33 के. व्ही., बेमेतरा	200 एम. व्ही. ए.	103821.00
84.	132/33 के. व्ही. डोंगरगांव	40 एम. व्ही. ए.	57334.00

प्रपत्र "स"

दुर्ग जिले में ठेके पर नहीं दिये गये सब-स्टेशनों की क्षमता एवं उनके संचालन हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे मासिक व्यय की सब-स्टेशनवार जानकारी

क्र. (1)	सब-स्टेशन का नाम (2)	कुल क्षमता (3)	मासिक व्यय (4)
1.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, दुर्ग (शहर)	15 एम. व्ही. ए.	94186.00
2.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बोरसी	10 एम. व्ही. ए.	124189.00
3.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, जवाहर नगर	10 एम. व्ही. ए.	105713.00
4.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बघेरा	10 एम. व्ही. ए.	83042.00
5.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, अण्डा	10 एम. व्ही. ए.	77678.00
6.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, पाटन	10 एम. व्ही. ए.	99750.00
7.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, नेहरूनगर	15 एम. व्ही. ए.	94724.00
8.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बालोद	10 एम. व्ही. ए.	74994.00
9.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, दल्लीराजहरा	8.15 एम. व्ही. ए.	58304.00
10.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, बेमेतरा	10 एम. व्ही. ए.	61262.00
11.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, भिलाई (ग्रा.)	10 एम. व्ही. ए.	106753.00
12.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, मदरटेरसा नगर	20 एम. व्ही. ए.	75184.00
13.	33/11 के. व्ही. स्टेशन, छावनी	15 एम. व्ही. ए.	111338.00
14.	132/33 के. व्ही., भिलाई	143 एम. व्ही. ए.	974208.00
15.	132/33 के. व्ही., रूआबांधा	80 एम. व्ही. ए.	565000.00
16.	132/33 के. व्ही., दल्ली राजहरा	45 एम. व्ही. ए.	321011.00
17.	220/132/33 के. व्ही., गुरुर	360 एम. व्ही. ए.	434343.00
18.	220/132 के. व्ही., भिलाई	500 एम. व्ही. ए.	933992.00
19.	400/220 के. व्ही., भिलाई	945 एम. व्ही. ए.	1268077.00

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित ग्रन्थ संख्या 20 (क्र. 721) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2007-08

विधान सभा का नाम (1)	कार्य का नाम (2)	स्वीकृत राशि (लाख में) (3)
डोंडीलोहरा	भरसकोला नाला (ग्राम भरसकोला) में पुलिया निर्माण	12.79
खैरवाडा नगर	खुरसुनी बम्हनी मार्ग पर पुलिया निर्माण ओडारसकरी से गब्दी मार्ग पर पुल निर्माण सुरेगांव से दुधली पहुंच मार्ग पर मुडखुसरा नाला में पुलिया निर्माण	63.53
मारो	ग्राम मकखनपुर से कुआ गांव डब्ल्यू.बी. एम. रोड निर्माण. ग्राम धनगांव के पास पुलिया निर्माण	28.06
योग		53.05
धमधा	ग्राम अहिरवारा रामरान घाट से हिंयना तक डब्ल्यू. बी. एम. सड़क एवं 05 स्थानों पर पुलिया निर्माण कार्य.	55.56
गुंडरदेही	ग्राम रंगकटेरा (कुटेरी) से ग्राम चंदनबिरही में डब्ल्यू. बी. एम. सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य.	25.00
	ग्राम सलौनी से भाठागांव रोड पर पुलिया निर्माण एवं किर्किरमेटा से गातापार से पर पुलिया निर्माण. बटोल से धमधा रोड पर पुलिया निर्माण	19.00 28.51
योग		72.51
महायोग		257.44

वर्ष 2008-09

विधान सभा का नाम (1)	कार्य का नाम (2)	स्वीकृत राशि (लाख में) (3)
गुंडरदेही	कमारोद से सुन्दरा मार्ग पर पक्का पुल	25.36
	राहुद से कसौदा मार्ग पर पक्का पुल	23.39
	रीवागहन से शुक्लाडीह मार्ग पर पक्का पुल	23.39
	सुरपा से कोरेला मार्ग पर पक्का पुल	24.99
	पेन्डी से बारभाटा मार्ग पर पक्का पुल	19.14
	किर्किरमेटा से गातापार पक्का पुल	29.09
योग		145.36

(1)	(2)	(3)
डोंडीलोहरा	ग्राम भेंडी विकासखंड डोंडीलोहरा में पुल निर्माण	51.36
	ग्राम थिखली विकासखंड डोंडीलोहरा में पुल निर्माण	56.44
	ग्राम मरकाटोला विकासखंड डोंडीलोहरा में पुल निर्माण	46.16
	न्वापारा से अरजपुरी में पुलिया निर्माण	39.93
	योग	193.89
खैरथाबाजार	फरदफोड़ नाला में पुलिया निर्माण	50.00
	भुरकाभाट से कन्हार मार्ग (बहाया सुरेगांव) पर पुल निर्माण	11.29
	योग	61.29
	महायोग	400.54

परिशिष्ट "बी"

[तारकीकृत प्रश्न संख्या 21 (क. 778) के भाग (ख) की जानकारी]

रायपुर जिला अन्तर्गत वर्ष 2000 से जनवरी 2009 तक हीरा खनिज हेतु स्वीकृत आरपी/पीएल की जानकारी

क्रमांक	आवेदक का नाम	आवेदन दिनांक एवं आवेदित क्षेत्र	खनिज रियायत का प्रकार	स्वीकृत आरपी/पीएल क्षेत्र का विवरण			विभाग द्वारा हीरा खनिज सर्वेक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र में स्वीकृत आरपी/पीएल का क्षेत्र	प्रकरण की अद्यतन स्थिति
				दिनांक	क्षेत्र	अवधि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	मेसर्स वी. विजय कुमार	29-10-1998 एवं 4600 वर्ग किमी.	हवाई सर्वेक्षण अनुमति/पूर्वेक्षण अनुमति	16-12-1999	4600 वर्ग कि.मी.	25-1-2000 से 24-1-2003	3986.69 वर्ग कि. मी.	राज्य शासन के आदेश दिनांक 14-12-2001 द्वारा स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुमति निरस्त की गई, जिसके विरुद्ध कम्पनी द्वारा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 97/02 दाख की गई. दिनांक 07-04-2008 को उक्त याचिका में मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत कंपनी द्वारा भारत सरकार खान मंत्रालय में पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है.
2.	मेसर्स हि. वियर्स इंडिया सर्वे प्रा. लिमिटेड.	22-6-2000 एवं 2000 वर्ग किमी.	आरपी (रायपुर, महासमुंद)	23-9-2002	1000 वर्ग कि.मी.	20-12-2002 से 19-12-2005	691 वर्ग कि. मी.	कम्पनी द्वारा आरपी कार्य पूर्ण करने के उपरान्त खनिज रियायत से संबंधित कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
3.	मेसर्स हि. वियर्स इंडिया सर्वे प्रा. लिमिटेड.	22-6-2000 एवं 2000 वर्ग किमी.	आरपी (रायपुर, महासमुंद)	23-9-2002	2000 वर्ग कि.मी.	20-12-2002 से 19-12-2005	602 वर्ग कि. मी.	कम्पनी द्वारा आरपी कार्य पूर्ण करने के उपरान्त 5 पी एल आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिसे पत्र दिनांक 1-2-08, 8-9-08 एवं 24-11-08 द्वारा वापस लेने हेतु लेख किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	मेसर्स एसीसी रिवोटिण्टो प्रा. लि.	14-12-2000 एवं 3000 वर्ग कि. मी.	आरपी (रायपुर, महासमुंद्र)	29-9-2002	3000 वर्ग कि.मी.	23-11-2002 से 22-11-2005	223 वर्ग कि. मी.	कम्पनी द्वारा आरपी कार्य पूर्ण करने के उपरान्त जिला रायपुर के अन्तर्गत 51 हेक्टर क्षेत्र पर गैंगल आशेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियार्थीन है.

उक्त पी. एल. एवं आर. पी. MMDR Act, 1957 (67 of 1957) Mineral Concession Rule 1960 के प्रावधान अन्तर्गत निहित शर्तों के अधीन स्वीकृत की गई है.

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 752) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत क्रेसर उद्योगों की सूची

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	क्रेसर की संख्या (3)
1.	टिमरलगा	28
2.	सेन्द्रस	07
3.	गुडेली	11
4.	चिलाईगढ़	01
5.	लखपुरवा	01
6.	परधीवपाली	01
7.	कंटगपाली	04
8.	सेनबला	01

प्रपत्र "ब"

ऐसे क्लेशर उद्योग जिन्हें पत्थर खदान आवंटित किया गया है

क्र.	उद्योग का नाम	पट्टेधारी का नाम पता	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण			
				ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

खनिपट्टा

1.	श्री जीवन राम अग्रवाल	श्री जीवन राम अग्रवाल रामनिवास टाकीज चौक, रायगढ़.	चूनापत्थर	गुडेली	540	1.447	27-03-1982 से 28-03-2002. नव. 27-03-2002 से 26-03-2022.
----	-----------------------	--	-----------	--------	-----	-------	--

उत्खनिपट्टा

2.	मेसर्स अभिलाषा ग्रामोद्योग	अभिलाषा ग्रामोद्योग प्रो. श्री किशन अग्रवाल, रायगढ़.	चूनापत्थर	टिमरलगा	1504/3, 1135/1,2,3 1500,1501/2 1502/2क, ख	0.809	26-10-1999 से 25-10-2009
3.	मेसर्स जगदम्बा ग्रामोद्योग	श्री जगदम्बा ग्रामोद्योग प्रो. श्री सुरेश कुमार आ. श्री तन्मुख राय निवासी सतीगुड़ी चौक, रायगढ़.	चूनापत्थर	टिमरलगा	944/1	0.625	28-12-2001 से 27-12-2011
4.	मेसर्स कृष्णा ग्रामोद्योग	श्री कृष्णा ग्रामोद्योग प्रो. श्री अनिल केडिया आ. श्री नरसिंग लाल केडिया निवासी सतीगुड़ी चौक, रायगढ़.	चूनापत्थर	टिमरलगा	1922/3	0.449	28-12-2001 से 27-12-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	श्यामा देवी बेरीवाल	श्रीमती श्यामादेवी बेरीवाल पति श्री वासुदेव बेरीवाल निवासी दानीपारा, रायगढ़.	चूनापत्थर	गुडेली	552/2 क, ख	0.405	12-06-2002 से 11-06-2012
6.	मेसर्स सारंगगढ़ क्रेशर उद्योग	सारंगगढ़, क्रेशर उद्योग प्रो. नंद किशोर अग्रवाल आत्मज श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी सारंगगढ़	चूनापत्थर	सेन्दुरस	81/1, 81/5 क, ख	0.664	11-02-2002 से 10-02-2012
7.	मेसर्स राधे ग्रामोद्योग	राधे ग्रामोद्योग, प्रो. श्री संजय अग्रवाल आ. श्री राधेश्याम अग्रवाल निवासी गांधी गंज, रायगढ़.	चूनापत्थर	टिमरलगा	1824, 1831, 1832/1 क, ग 2036/1	0.317	14-03-2002 से 13-03-2012
8.	मेसर्स श्याम क्रेशर उद्योग	श्री दीपक सिंघल आ. श्री इन्दर अग्रवाल निवासी कोतवाली के पास, रायगढ़.	चूनापत्थर	गुडेली	272/2, 4	0.255	31-10-2002 से 30-10-2012
9.	मेसर्स महालक्ष्मी ग्रामोद्योग	महालक्ष्मी ग्रामोद्योग प्रो. श्री खूनचन्द आ. श्री शिशुप्रसाद अग्रवाल नि. अमलडीहा, जिला जांजगीर-चांपा.	चूनापत्थर	टिमरलगा	2015/1	0.332	18-08-2005 से 16-08-2010
10.	मेसर्स तारिणी ग्रामोद्योग	तारिणी ग्रामोद्योग प्रो. श्री क्षितिभूषण पटेल आ. श्री देवनंदन पटेल निवासी टिमरलगा तह. सारंगगढ़.	चूनापत्थर	टिमरलगा	1043/1,2	0.600	25-11-2005 से 24-11-2010
11.	मेसर्स सिंघल क्रेशर उद्योग	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल आ. राम अवतार अग्रवाल नि. सारंगगढ़.	चूनापत्थर	सेन्दुरस	81/1, 81/2, 81/9	0.418	16-12-2005 से 15-12-2010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	मेसर्स श्री राम क्रेशर उद्योग	श्री प्रदीप अग्रवाल आ. महावीर प्रसाद अग्रवाल नि. सुभाष चौक, रायगढ़	चूनापत्थर	टिम्बरलगा	1049/3,21,4,13, 1039/4	0.748	03-04-2005 से 02-04-2011
13.	मेसर्स महामाया ग्रामोद्योग	महामाया ग्रामोद्योग पो. श्रीमती बबीता अग्रवाल पत्नि श्री पवन अग्रवाल नि. सारंगगढ़.	चूनापत्थर	टिम्बरलगा	1149/1,2 1150/1,2 1151/1,2 1153, 1176	0.811	30-06-2006 से 29-06-2011
14.	मेसर्स सरस्वती मिन्टल्स	मेसर्स सरस्वती मिन्टल्स प्रो. श्री निखिल अग्रवाल आत्मज श्री दिनेश अग्रवाल नि. गांधी गंज, रायगढ़	चूनापत्थर	टिम्बरलगा	1071/1 1071/2 1072/1 1072/2 1132/1	0.486	30-06-2006 से 29-06-2011
15.	मेसर्स गणपति ग्रामोद्योग	गणपति ग्रामोद्योग प्रो. विनोद कुमार बंसल आ. श्री सम्भूराम बंसल नि. केवड़ावाड़ी बस स्टैंड, रायगढ़	चूनापत्थर	टिम्बरलगा	1135/1,2,1136, 1138,1139/1,2 1157,1158/1,2	0.828	20-11-2006 से 19-11-2011
16.	मेसर्स गौरव मिन्टल्स	गौरव मिन्टल्स प्रो. श्री दीपक अग्रवाल आ. श्री मोहनलाल अग्रवाल नि. रामनिवास टॉकीज रोड, रायगढ़	चूनापत्थर	टिम्बरलगा	893 896/1	0.559	अनुबंध पत्र निष्पादन नहीं कराया गया है.
17.	श्री भवानी ग्रामोद्योग	श्री विजय कुमार शाह आ. श्री आर. एन. प्रसाद नि. रायगढ़.	चूनापत्थर	टिम्बरलगा	1154,1155, 1164,1165	0.543	25-07-2006 से 24-07-2011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	विनायक स्टोन क्रेशर	विनायक स्टोन क्रेशर उद्योग प्रो. श्रीमती बर्षा बंसल पति श्री सुरील बंसल नि. राधाइ.	चूनापत्थर	गुडेली	361/4, 352/1,4,5 एवं 353/4क, ख	0.600	25-11-2005 से 24-11-2010
19.	गणपति क्रेशर	गणपति ग्रामोद्योग, प्रो. श्री रघुकुमार सिंघानिया आ. श्री देवकृष्ण सिंघानिया निवासी बिलसपुर	चूनापत्थर	गुडेली	578/4, 579/4, 579/6	0.433	31-03-2005 से 30-03-2010
20.	अंजनी क्रेशर उद्योग	अंजनी क्रेशर, प्रो. श्री संजय बंसल आ. श्री रामकुमार बंसल निवासी इतवारी बाजार, राधाइ.	चूनापत्थर	टिभरलगा	462,465/3 488/8	1.050	14-06-2005 से 13-06-2010

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तात्कालिक प्रश्न संख्या 25 (क्र. 784) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

रायपुर जिले के घरसीवा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत मायनिंग लीज एवं लीजधारियों से 31 दिसम्बर, 2008 तक जमा की गई रायल्टी का विवरण

क्र.	लीजधारी का नाम व पता	खनिज	मायनिंग लीज क्षेत्र का विवरण				दिनांक 31-12-08 तक लीजधारियों से जमा की गई रायल्टी राशि का विवरण (रुपये में)
			ग्राम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री गंगाराम शर्मा, एमडी गंगोजी लाईम प्रा. लि., रायपुर.	चूनापत्थर	लालपुर	269/1-2, 270, 271, 260/2, 264/2	5.076	13-12-98 से 12-12-2018	1,57,500/-
2.	श्री गंगाराम शर्मा, एमडी गंगोजी लाईम प्रा. लि., रायपुर.	चूनापत्थर	मटिया	540/1-2, 541	8.144	03-1-99 से 02-1-2029	18,64,250/-
3.	श्री गंगाराम शर्मा, एमडी गंगोजी लाईम प्रा. लि., रायपुर.	चूनापत्थर	मटिया	404, 405/1	12.133	27-4-99 से 26-4-2019	38,72,326/-
4.	श्री मनीष डागा निवासी-जवाहर नगर, रायपुर.	चूनापत्थर	दोदेरुई	2/2	1.336	29-1-99 से 28-1-2019	11,91,565/-
5.	श्री ओ. आर. एस. मिनरल्स निवासी-टैगोर नगर, रायपुर.	चूनापत्थर	मटिया	501 से 506/1 से 7, 508 509, 512, 513/1 से 4, 514/1 से 8, 515	16.126	01-11-98 से 31-10-2018	12,56,250/-
6.	श्री भूपेन्द्र साह, आरम्भज, कुंवराम साह, निवासी-सिरिकला, तहसील राजिम.	चूनापत्थर	मटिया	544	2.933	26-4-99 से 25-4-2019	6,73,780/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	श्री अशिलेश कुमार निवासी-मंदिर हसीद.	चूनापत्थर	लालपुर	274/1, 274/6	4.479	26-7-99 से 25-7-2019	7,11,000/-
8.	श्री मनीष शर्मा, आत्मज श्री श्री. डी. शर्मा निवासी-चीचे कॉलोनी, रायपुर.	चूनापत्थर	मटिया	515, 517, 521/1 से 5	4.834	21-8-99 से 20-8-2019	1,85,250/-
9.	मे. एफ. आर. इन्टरप्राइजेस निवासी-के. के. रोड, रायपुर.	चूनापत्थर	मटिया	386/2, 388 से 395, 397 से 400, 401/1, 2, 402/403, 405/2, 406 से 409, 412/1 से 14, 413/1, 2, 416 से 422	10.469	03-7-03 से 02-7-2023	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.
10.	श्री शांति जैन, मकान नं. 8 न्यू शांति नगर, रायपुर.	चूनापत्थर	लालपुर	274/8	2.55	23-06-04 से 22-06-2034	4,33,750/-
11.	श्री योगेन्द्र शर्मा निवासी टेकारी	चूनापत्थर	लालपुर	274/7	1.214	30-07-02 से 29-07-2022	2,45,730/-
12.	मे. छत्तीसगढ़ मिनरल्स प्रो. मोहम्मद असागर, बबला कॉम्प्लेक्स, रायपुर.	चूनापत्थर	लालपुर	260, 264/1,2,3	9.837	25-08-06 से 24-08-2036	22,500/-
13.	श्री आर. के. अग्रवाल साकिन खरोरा, रायपुर.	चूनापत्थर	कठिया	1056/2	16.194	15-09-89 से 14-9-2009	5,24,31,413/-
14.	श्री इंद्रजीत सिंग भाटिया निवासी खरोरा, रायपुर.	चूनापत्थर	खपरी	10/2 P	1.392	15-05-01 से 14-05-2021	1,18,296/-
15.	श्री आनंद कुमार गुप्ता आनंद नगर, रायपुर.	चूनापत्थर	मोहरेंगा	525/10	9.790	03-11-01 से 02-11-2021	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	श्री अशोक सरीन, जेल रोड, रायपुर	चूनापत्थर	मढ़ी	38/1	10.121	26-12-02 से 25-12-2022	1,02,300/-
17.	मे. जायसवाल निको लि. ग्रोथ सेन्टर सिलतरा, रायपुर.	चूनापत्थर	कठिया	1056/2	9.149	19-12-05 से 18-12-2035	कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है.
18.	श्री योगेन्द्र वर्मा, आत्मज स्व. के. एल. वर्मा निवासी-खरोरा, जिला-रायपुर.	चूनापत्थर	मोहरेंगा खौलीडबरी	489, 786/1, 260/2 738, 739	2.506 2.021	19-11-07 से 18-11-2037	99,000/-
					योग	4.527	
						प्राप्त कुल रायल्टी	6,33,64,910/-

प्रपत्र "ब"

रायपुर जिले के घरेलू/बा निधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जिन लीजधारकों द्वारा लीज भूमि पर खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया, की जानकारी

क्र.	लीजधारी का नाम व पता	खनिज	मायनिंग लीज क्षेत्र का विवरण			
			ग्राम	खम्बरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मेसर्स एफ. आर. इंटरप्राइजेस, के. के. रोड, रायपुर.	रायपुर	भटिया	386/2, 388 से 395, 397 से 400, 401/1, 2, 402, 403, 405/2, 406 से 409, 412/1 से 14, 413/1,2, 416 से 422	10.469	3-7-2003 से 2-7-2023
2.	श्री आनंद कुमार गुप्ता आनंद नगर, रायपुर.	तिलदा	मोहरंगा	525/10	9.790	03-11-2001 से 02-11-2021
3.	मे. ज्ञानसवाल मिर्को लि. ग्रोथ सेन्टर सिलतरा, रायपुर.	तिलदा	चौठिया	1056/2	9.149	19-12-2005 से 18-12-2035